



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रु.वि./सम्बद्धता/2021/693-99

दिनांक : 21.01.2022

अति आवश्यक

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,

समस्त सम्बद्ध-राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय

एम०जे०पी०रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय : रिट पिटीशन संख्या-15385 (पी०आई०एल०) /2021 में Noise Pollution through modified silencers (Suo moto) Vs. State of U.P. and others में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के संलग्न पत्रांक : डिग्री विकास/155137/2021-22 दिनांक 20.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-96 इन्फ/2022-62इन्फ/21(11) दिनांक 17 जनवरी, 2022 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन उक्त रिट याचिका में श्री गौरव मेहरोत्रा, अधिवक्ता द्वारा दिये गये सुझाव में बिन्दु संख्या-08, जो निम्नवत् उद्धरित हैं—

"Need for creating general awareness towards hazardous effects of noise pollution. Suitable chapters may be added in the text books which teach civic sense to the children and youth at initial or early level of education. Special talks and lectures be organized in the colleges/higher education institutions to highlight the menace of noise pollution including the use of Pressure Horns, modified silencers, and loud speakers and the role of children and younger generation in preventing it and also elucidating on the fact that use of such modified silencers is an offence punishable under law.

अतः उपर्युक्तानुसार अधिवक्ता द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली—मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
4. निजी सचिव—कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. प्रभारी बेवसाईट, को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव